

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-783 / 2003

संस्थित दिनांक-03.11.1999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी (बफर जोन),
 कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- परिवादी

// विरुद्ध //

1-रामसिंह पिता रोगराम, उम्र 50 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जुवाड़ी टोला, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-सुमेरी पिता चैतराम, उम्र 65 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जुवाड़ी टोला, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-गवठिया पिता रोगराम, उम्र 70 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जुवाड़ी टोला, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-पंडित पिता फागू , उम्र 60 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जुवाड़ी टोला, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-पंडा पिता फागू , उम्र 50 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जुवाड़ी टोला, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

6-भुखऊ पिता बिसराम, उम्र 52 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जुवाड़ी टोला, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7-अंतराम पिता सुकलू , उम्र 50 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

8-सुन्हेरसिंह पिता प्रेमसिंह, उम्र 45 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

9-बीरन पिता लोहार, उम्र 55 वर्ष,
 निवासी-ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

10—कहारसिंह पिता भददेलाल, उम्र 48 वर्ष,
निवासी—ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

11—नंदलाल पिता बृजलाल, उम्र 55 वर्ष,
निवासी—ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

बलदेव पिता भीमा,
निवासी—ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी फौत घोषित

// निर्णय //

(आज दिनांक-27 / 11 / 2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 31, सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-04.10.2009 को दिन के 2:00 बजे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन कक्ष क्रमांक-130 में एक राय होकर बिसार (तीर) रखकर अवैध रूप से प्रवेश कर, वन्य प्राणी चीतल का बिसार (तीर) से शिकार किया।

2— संक्षेप में परिवादी पक्ष का परिवादी इस प्रकार है कि बफरजोन वन मण्डल कान्हा टायगर रिजर्व में कार्यरत वनपाल श्री एस.एल.पांचे, श्री सी.आर.उयके, वनरक्षक व गश्ती श्रमिक के साथ वन गश्ती में निकले थे। प्रकोष्ठ क्रमांक-132 से होते हुये प्रकोष्ठ क्रमांक-130 पर पहुंचने पर उन्हें कुछ लोगों के भागने की आवाज आयी, जिस पर नंदलाल वल्द ब्रजलाल के मिलने पर उससे पूछताछ की गई तो उसने पिहरी मशरूम खोजने की जानकारी देकर वहां से अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद झाड़ी पर फड-फडाने की आवाज सुनायी दी तो वहां पहुंचने पर मौके पर एक चीतल तीर लगा हुआ, घायल अवस्था में देखा, जिसकी थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गयी। इसी दरमियान वहां एक वनरक्षक पहुंचा और उसने बताया कि ग्राम जुवाड़ी टोला के 5-6 लोग भाग रहे थे, जिस पर शंका होने पर सर्वप्रथम नंदलाल से पूछताछ करने पर उसने जुवाड़ी टोला एवं जैतपुरी के 12 व्यक्तियों द्वारा मिलकर चीतल को हाकने तथा उन में से आरोपी रामसिंह द्वारा तीर चलाकर चीतल का शिकार किया जाना बताया। आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-978/22 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का नक्शा व पंचनामा, जप्तीनामा, मृत चीतल का शव परीक्षण कराया गया, जप्तशुदा तीर का पंचनामा,

आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 31 एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी बलदेव वल्द भीमा विचारण के दौरान फौत होने से उसके विरुद्ध विचारण समाप्त किया गया। शेष आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने उन्होंने दिनांक-04.10.2009 को दिन के 2:00 बजे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन कक्ष क्रमांक-130 में एक राय होकर बिसार (तीर) रखकर अवैध रूप से प्रवेश कर, वन्य प्राणी चीतल का बिसार (तीर) से शिकार किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— सरदारीलाल (अ.सा.1), पवन (अ.सा.2) एवं एस.एल.पांचे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वे वर्ष 1999 में गढ़ी परिक्षेत्र में कमशः वनरक्षक, परिक्षेत्र सहायक एवं वनपाल के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक-04.10.1999 को वे लोग दिन के करीब 10:00 बजे तीन मजदूरों के साथ गश्त के लिये निकले थे। जब वे कक्ष क्रमांक-130 में पहुंचे तो दोपहर पश्चात् लगभग 1:35 बजे आवाज सुनायी दी और आरोपीगण को आवाज देकर रुकने का बोले तो वे लोग भाग गये। आरोपीगण के पास तीर रखे हुये थे, उन लोगों ने आस-पास पता किया तो एक मादा चीतल की पसली में तीर लगा हुआ मिला, जो तीर लगने के कारण मर गयी। उन लोगों ने मृत चीतल को जैतपुरी रेस्ट हाउस लाये और पंचनामा वगैरह की कार्यवाही किये। सरदारीलाल (अ.सा.1) ने कथन किया है कि उसने अपना कथन प्रदर्श पी-10 डिप्टी रेंजर को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पवन (अ.सा.2) ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-14 के कथन पर उसके हस्ताक्षर है। एस.एल.पांचे (अ.सा.3) ने कथन किया है कि पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-16 पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि घटना के समय कान्हा नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र में चीतल तीर लगी हुई पायी गई थी, जिसका शिकार हुआ था।

6— चिकित्सक ए.के.सैनी (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक-05.10.1999 को जैतपुरी के वन विश्राम गृह में चीतल का परीक्षण किया गया था। चीतल का बाहरी रूप से परीक्षण करने पर उसने पाया था कि उसके बांये पेट में रीड की हड्डी के नीचे घाव था, जिसमें लोहे का कील लगा था। शव विच्छेदन करने पर यह पाया गया था कि लोहे का तीर चीतल की दोनों किडनी

को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में चीतल की मृत्यु के संबंध में स्पष्ट अभिमत पेश नहीं किया है, किन्तु उसके द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 के अनुसार बतायी गई चोटों की प्रकृति से यह उपधारणा की जा सकती है कि चीतल की मृत्यु तीर लगने के कारण हुई थी।

7— इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में चीतल की तीर लगने के कारण मृत्यु हुई थी। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य के आधार पर यह निराकरण किया जाना है कि उक्त चीतल की मृत्यु आरोपीगण के द्वारा मिलकर तीर मारकर, शिकार करने से हुई और आरोपीगण ने कथित शिकार का अपराध कारित किया है।

8— सरदारीलाल (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने बयान स्वयं लिखकर डिप्टी रेंजर को नहीं दिया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को जंगल में नहीं पहचाना था, जबकि साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में जंगल में मौके पर ही आरोपीगण को भागते हुये पहचानने के कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर 6 लोग थे और उन लोगों ने बाकी लोगों का नाम बताया था, जबकि इस साक्षी के परिवाद के साथ संलग्न कथन में यह उल्लेख है कि उसने मौके पर भागते हुये लोगों को देखा था और उसके आवाज लगाने पर वे लोग भगा गये थे, बाद में उन्होंने ग्राम वासियों को बुलाकर पंचनामा तैयार किया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मौके पर ही आरोपी नंदलाल या 6 आरोपी के उपलब्ध होने के तथ्य का लोप किया गया है तथा आरोपीगण की मौके पर ही जानकारी होने के संबंध में विरोधाभासी कथन करने से साक्षी के कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने उसके सामने आरोपीगण द्वारा चीतल मारने की बात स्वीकार न करने का तथ्य प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है, जिस कारण इस साक्षी के कथन से आरोपीगण के द्वारा कोई अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है।

9— पवन अ.सा.2 एवं एस.एल.पांचे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में उक्त तथ्य के अलावा यह भी तथ्य प्रकट किया है कि घटना के समय मौके पर आरोपी नंदलाल को बुलाया गया था, जिसने अन्य आरोपीगण का नाम बतलाया था और उनके द्वारा चीतल मारना भी बताया था।

10— पवन (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक के अगले दिन अर्थात् 5 तारीख तक यह नहीं मालूम था कि कौन जंगल गया था और किसने शिकार किया था। साक्षी से अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने चीतल मारने का अपराध कबूल किया था। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा आरोपी नंदलाल की मौके पर ही जानकारी होने एवं उसके द्वारा अन्य आरोपीगण के नाम बताये जाने के

संबंध में विरोधाभाषी कथन करने से साक्षी के कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इस साक्षी ने उसके सामने आरोपीगण ने चीतल मारने का अपराध कबूल न करने का तथ्य प्रकट कर परिवादी के मामले का समर्थन मुख्य रूप से अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— एस.एल.पांचे (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि तीर किसने मारा था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पी.ओ.आर. में मात्र रामसिंह का नाम लिखा गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी रामसिंह का नाम पी.ओ.आर. में लेख करने का कोई आधार प्रकट नहीं किया गया है, बल्कि इस साक्षी के कथन से यह भी प्रकट होता है कि उसने कथित शिकार करते हुये या तीर मारते हुये किसी भी आरोपी को नहीं देखा है और न ही उसके सामने किसी आरोपी से कोई पूछताछ हुई है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपने कथन में परस्पर विरोधाभाषी कथन करते हुये महत्वपूर्ण तथ्यों के लोप होने का स्पष्टीकरण पेश नहीं कर सका है। यह साक्षी अपनी साक्ष्य में स्थिर नहीं रहा है। इस प्रकार साक्षी के कथन से परिवादी पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

12— भुवनलाल (अ.सा.4), हरिलाल (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना के समय उन्होंने एक चीतल को तीर लगे हुये देखा था। चीतल रामसिंह ने मारा था। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-17 एवं प्रदर्श पी-18 पर उनके हस्ताक्षर हैं। इन साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम के समय तक और आरोपीगण को बुलाये जाने के समय तक उन्हें यह नहीं मालूम था कि चीतल को किसने मारा है। इस प्रकार इन साक्षीगण के कथन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मौके के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहे हैं, बल्कि मात्र जप्ती कार्यवाही के साक्षी रहे हैं और वन विभाग में नौकरी करने के कारण प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी रामसिंह के द्वारा कथित चीतल का शिकार किये जाने का तथ्य प्रकट कर रहे हैं, जो कि अविश्वसनीय साक्ष्य है।

13— अन्य साक्षी मदनसिंह (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय तीर किसने मारा था, उसे नहीं मालूम। इस साक्षी ने केवल पंचनामा प्रदर्श पी-19 पर उसके हस्ताक्षर किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। उक्त पंचनामा में केवल यह उल्लेखित है कि मौके पर एक मादा चीतल मृत अवस्था में थी और उसे पीठ पर तीर घुसा हुआ मिला था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से परिवादी को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

14— भीमसिंह (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में मृत चीतल के पोस्टमार्टम के पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-20, प्रदर्श पी-21, प्रदर्श पी-22 की कार्यवाही एवं मृत चीतल से बिसरा बरामदगी कर सील बंद किये जाने का पंचनामा प्रदर्श पी-23 की कार्यवाही का समर्थन किया गया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल समर्थनकारी कार्यवाही को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। साक्षी के कथन से आरोपीगण के विरुद्ध कथित

अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

15— सी.आर.उयके (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह वनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था और उसके साथ वनपाल पांचे, सरदारीलाल एवं वन श्रमिक गश्ती पर गये हुये थे। उसे कक्ष क्रमांक-130 में पहुंचने पर कुछ लोगों के भागने की आवाज सुनायी दी, वहां पर आरोपी नंदलाल के मिलने पर उसने बताया था कि वह पिहरी लेने आया है, उसके जाने के बाद झाड़ी पर एक चीतल फड-फडाता हुआ मिला, जिसके शरीर में तीर फंसा हुआ मिला था और उसकी थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गई थी। उसने शंका के आधार पर नंदलाल को बुलाया था तो उसने पूछताछ में आरोपीगण के साथ चीतल का शिकार करना बतलाया था। अन्य आरोपीगण ने भी पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया था। उसने जांच के दौरान नजरी नक्शा प्रदर्श पी-24 बनाया था तथा साक्षी एस.एल.पांचे, सरदारीलाल के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया था। आरोपी रामसिंह, सुमेरी, गवठिया, पंडित, पंडा, पुसऊ, बलदेव, हंसराम, सुनेरी, बिरन, कहार एवं नंदलाल के कथन प्रदर्श पी-2 से लगायत प्रदर्श पी-13 साक्षी भुवनलाल और पवन की उपस्थिति में लेख किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी नंदलाल पहली बार मिला था तब उसके पास मशरूम रखे हुये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी नंदलाल ने दिनांक-04 को ही अपना अपराध स्वीकार किया था और आरोपी नंदलाल को छोड़ दिया गया था। इस प्रकार यदि नंदलाल ने घटना दिनांक को ही कथित अपराध स्वीकार किया था तब उसे छोड़ देने का कोई स्पष्टीकरण साक्षी ने पेश नहीं किया है तथा घटना दिनांक को ही आरोपी नंदलाल के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति की गई तो उसका पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-16 में उसका नाम उल्लेख न होने का कोई कारण साक्षी ने प्रकट नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने शंका होने के आधार पर नंदलाल को घर से बुलाया था तो वह मौके पर आया था। यद्यपि उक्त तथ्य का उल्लेख पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-16 और मौके पर तैयार पंचनामा प्रदर्श पी-19 एवं कथित तीर की जप्ती का पंचनामा प्रदर्श पी-17 में भी नहीं किया गया है।

16— रेंज आफिसर एच.सी.पहारे (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसने पी.ओ.आर. क्रमांक-978/22 में अग्रिम कार्यवाही व जांच के संबंध में परिक्षेत्र सहायक श्री उयके को जांच सौंपी थी और उन्ही के द्वारा जांच उपरांत प्रकरण सौंपने पर उसने मामले में परिवाद पत्र प्रदर्श पी-24 पेश किया था। उसके अलावा उसने अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके सामने अनुसंधान कार्यवाही नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने मामले में केवल परिवाद पत्र पेश करने की समर्थनकारी साक्ष्य औपचारिक रूप से पेश की है।

17— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी एस.एल.पांचे (अ.सा.3) ने मामले में स्वयं सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही, जिसमें जप्ती की कार्यवाही, पी.ओ.आर. तैयार करना, मौके

का पंचनामा तैयार करना, आरोपीगण का बयान लेखबद्ध करना, उनकी गिरफ्तारी किया जाना, मृत प्राणी के शव का पंचनामा तैयार करना, घटना स्थल का मौका तैयार करना, अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया जाना आदि सभी महत्वपूर्ण कार्यवाही अकेले निष्पादित की है। उक्त कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है तथा जिन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में उक्त कार्यवाही का समर्थन करते हुए कथन किया है, वे सभी जप्ती अधिकारी के साथी एवं विभागीय कर्मचारी रहे हैं, जिन्होंने मामले में की गई वरिष्ठ अधिकारी की कार्यवाही का हितबद्ध साक्षी के रूप में समर्थन किया होना प्रकट होता है।

18— प्रकरण में आरोपीगण को कथित शिकार किये जाने के संबंध में किसी साक्षी के द्वारा नहीं देखा गया है तथा जिन साक्षीगण को परिवादी की ओर से पेश किया गया है, उन्होंने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परस्पर विरोधाभासी कथन करते हुये महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप होना प्रकट किया है। सभी साक्षीगण अपने कथन में स्थिर भी नहीं रहे हैं। मामले में घटना दिनांक-04.10.1999 की प्रकट की गई है, जबकि आरोपीगण को दिनांक-06.10.1999 को प्रथम बार न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण को दिनांक-05.10.1999 को अर्थात् घटना दिनांक के एक दिन पश्चात् गिरफ्तार किया गया था। सरदारीलाल (अ.सा.1), पवन (अ.सा.2) एवं एस.एल.पांचे (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपीगण को पूछताछ के लिये दो-तीन दिन रोककर रखा गया था। अतएव इस अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि आरोपीगण पर दबाव डालकर उनके स्वीकारोक्ति वाले कथन लेख किये गये। यद्यपि किसी भी साक्षी ने आरोपीगण की कथित अपराध स्वीकारोक्ति का समर्थन अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से नहीं किया है, बल्कि महत्वपूर्ण साक्षीगण जो कि स्वयं विभागीय साक्षी हैं, के द्वारा उक्त स्वीकारोक्ति किये जाने के तथ्य के संबंध में अपनी साक्ष्य में स्थिर नहीं रहे हैं।

19— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण को किसी भी साक्षी के द्वारा कथित शिकार किये जाते हुये नहीं देखा गया है। आरोपीगण से अपराध से संबंधित कोई जप्ती भी बरामदगी नहीं की गई है। मात्र आरोपीगण निकटतम गांव के निवासी एवं जंगल में पिहरी इकट्ठा करने के कारण उन्हें शंका के आधार पर पूछताछ की गई थी। मामले में प्रत्यक्ष का अभाव है तथा जो पारिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रकट होती है उनकी विवेचना से आरोपीगण के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध तथ्यों की कड़ी नहीं जुड़ती है। जहां साक्ष्य परिस्थितिक प्रकृति की है, वहां जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना है, वह बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए और ऐसे निश्चित तथ्य आरोपी को दोषिता की सम्भावनाओं के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियां निश्चयात्मक प्रवृत्ति तथा प्रकृति की होनी चाहिए, जो कल्पना से परे हो। परिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी बिल्कुल पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि आरोपी की निर्दोषिता को सिद्ध करने की कोई गुंजाइश न रहने पाए और यह ऐसी होनी चाहिए कि सभी मानवीय सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता हो कि कृत्य आरोपीगण के द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार परिवादी मामले में जो युक्ति-युक्त

संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उन्हें परिवादी की ओर से साक्ष्य में दूर नहीं किया जा सका है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है।

20— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक—04.10.2009 को दिन के 2:00 बजे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन कक्ष क्रमांक—130 में एक राय होकर बिसार (तीर) रखकर अवैध रूप से प्रवेश कर, वन्य प्राणी चीतल का बिसार (तीर) से शिकार किया। अतएव आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9, 31 एवं सहपठित धारा—51 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

21— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

22— आरोपीगण मामले में दिनांक—06.10.1999 से दिनांक—01.11.1999 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं, इसके संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

23— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बिसार (तीर) मूल्यहीन होने से अपील अवधी पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट